उत्तराखंड में आदिवासियों को UCC से छूट दी जाएगी

चर्चा में क्यों?

राज्य विधानसभा में पेश किया जाने वाला प्रस्तावित **उत्तराखंड** समान नागरिक संहिता **राज्य की** आदिवासी आबादी **को इसके प्रावधानों से पूरी तरह छूट देने के लिये तैयार है।**

मुख्य बिंदु:

- **उत्तराखंड की आबादी में लगभग 2.9% आदिवासी हैं, जिनमें जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी और बुक्सा प्रमुख हैं।**
  - पहाड़ी राज्य में कुछ जनजातियों के बीच बहुपत्नी और बहुविवाह भी प्रचलित प्रथा है।
- उत्तराखंड UCC समिति ने भी इन आदिवासी समुदायों के साथ समान संहिता पर बातचीत की थी।
  - **युवा जनजातीय आबादी** ने यह भी प्रतिक्रिया दी थी कि हालाँकि पिछली पीढ़ियों में बहुपत्नी/बहुविवाह एवं अन्य प्रथाएँ प्रचलन में थीं, लेकिन अब वे शायद ही प्रचलन में हैं और इसलिये **सुधार किये जा रहे हैं।**
  - हालाँकि सभी राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में **आदिवासी और जातीय समुदायों** ने खुले तौर पर किसी भी नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध व्यक्त किया है जो उनके रीति-रिवाज़ों तथा जीवन के सदियों पुराने तरीकों को प्रभावित कर सकता है।
- **मुसलमानों के लिये तलाक और पुनर्विवाह पर हलाला, इद्दत व खुला विकल्प नए कोड के तहत अवैध होंगे** , जिसमें केवल न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही के माध्यम से तलाक तथा पुनर्विवाह की आवश्यकता होगी।
  - राज्य का कोड '**लिव-इन रिलेशनशिप' के पंजीकरण को अनिवार्य करेगा तथा पैदा हुए बच्चों के लिये पूर्ण उत्तराधिकार की मांग करेगा।**

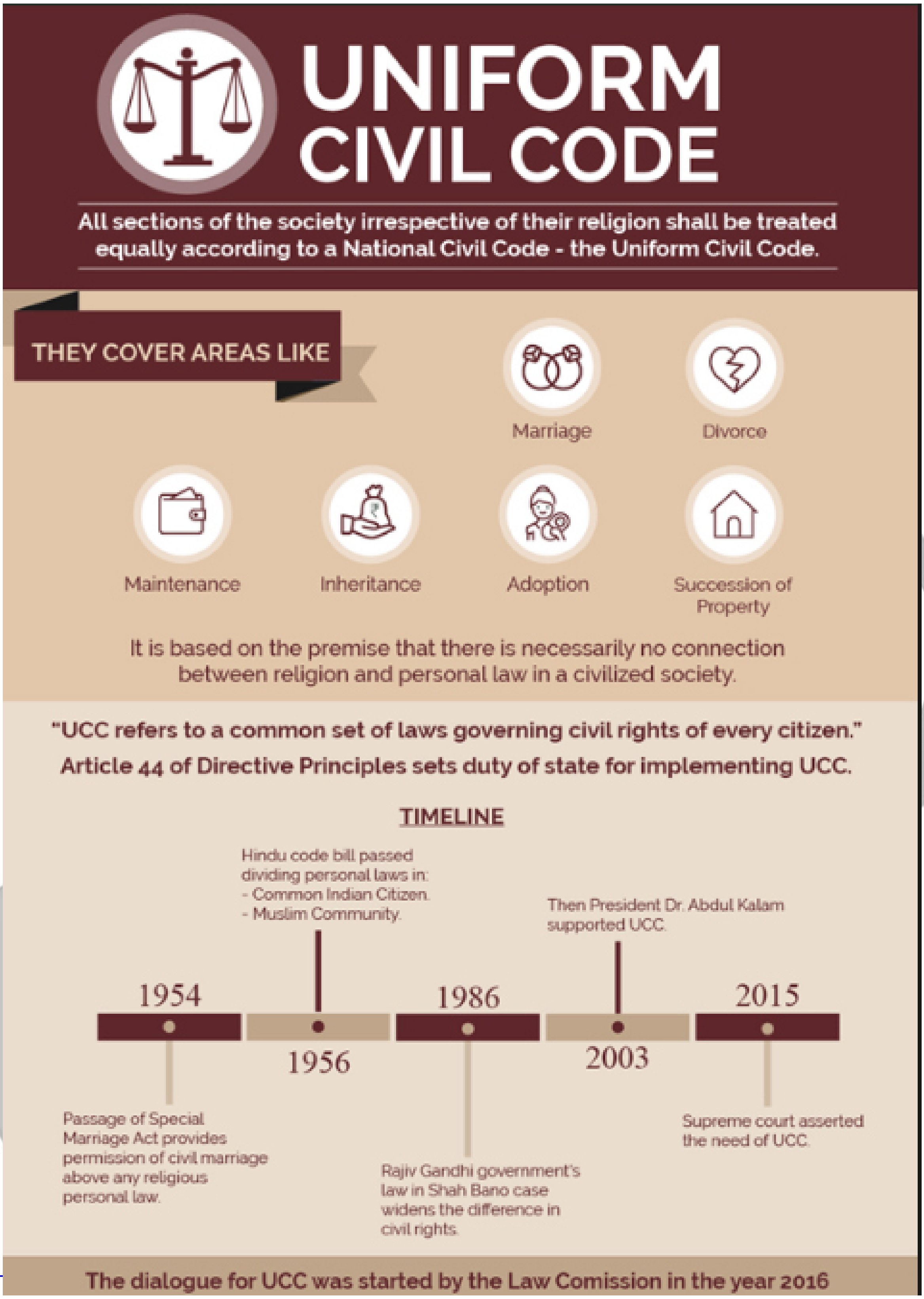

//

उत्तराखंड की जनजातियाँ

- उत्तराखंड की जनजातियों में **मुख्य रूप से पाँच प्रमुख समूह शामिल हैं जिनमें** जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति, बुक्सा जनजाति और भूटिया शामिल हैं।
- जनजातीय आबादी का मुख्य संकेंद्रण ग्रामीण क्षेत्रों में है।
  - रिकॉर्ड के अनुसार, **कुल आदिवासी आबादी का लगभग 94.50% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है** और शेष प्रतिशत आदिवासी आबादी शहरी केंद्रों में रहती है।
- जनसंख्या की दृष्टि से **थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है।**

- उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में जनजातीय आबादी का कम-से-कम प्रतिशत है
- **उत्तराखंड की इन जनजातियों को भारत के संविधान में अनुसूचित किया गया है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-set-to-exempt-tribals-from-ucc